न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–1. श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस) किशनगढबास

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

निर्णय

23.2.22

आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी हरीशचन्द पुत्र संग्रामसिह जाति जाट निवासी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में उसका का नाम होशियार सिह पुत्र सिघाराम जाति जाट निवासी जाटका दर्ज हो गया जिसे शुद्व किया जाकर सही नाम हरीश चन्द खैरिया पुत्र सिंगाराम सिंह जाति जाट दर्ज किये जाने का निवेदन गया है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए. मे दर्ज कर तहसीलदार किशनगढबास से रिकार्ड व मौके के अनुसार रिपोर्ट तलब की गई जिसमें तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.2.22 जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है, में संलग्न दस्तावेज रिपार्ट पटवारी एवं भू– अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में प्रार्थी का होशियार सिंह/होशयार सिंह व हरीशचन्द खैरिया पुत्र सिंघाराम/सिघाराम/संग्रामसिंह एक ही व्यक्ति का नाम है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है के आधार पर प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थी का नाम होशियार पुत्र सिघाराम के स्थान पर हरीशचन्द पुत्र संग्रामसिह किये जाने की अनुशंषा की है। साथ में प्रार्थी स्वयं का शपथ पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसंस, राशनकार्ड, पैनकार्ड, भामाशाह में भी प्रार्थी का नाम हरीश चन्द खैरिया पुत्र संग्राम सिंह नाम शुद्व करने की पुष्टी होती है।

अतः परिवादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार किशनगढबास (भूमिधारी) की रिपार्ट के आधार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, हल्फनामा, बयान, आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है ओर ग्राम जाटका, साहुबास, कांकरा की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्यां 15,16,2,76,142,143,202,113 में प्रार्थी का नाम होशियार सिंह पुत्र सिंघाराम के स्थान पर हरीश चन्द खैरिया पुत्र संग्रामसिंह दर्ज किये जाने के आदेश तहसीदार किशनगढवास को दिये जाते है निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर लेख भण्डार हो।

(ओंप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned with OKEN Scanner